



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082026-275740
CG-DL-E-25082026-275740

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4522]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 4522]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2026

का.आ. 4707(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (इसके बाद आयकर अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची VII [तालिका: क्रम संख्या 42] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा "महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (पैन: AAAGM0004R)" (इसके बाद निर्धारिती के रूप में संदर्भित), विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 (1998 का नंबर 14) के तहत गठित एक आयोग को, उस क्रम संख्या के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-2027 से प्रभावी होगी, इस शर्त के अधीन कि निर्धारिती, आयकर अधिनियम की अनुसूची VII [तालिका: क्रम संख्या 42] में निर्दिष्ट एक या अधिक उद्देश्य के साथ, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का नंबर 14) के तहत गठित एक आयोग बना रहेगा।

[अधिसूचना सं. 117 /2026/फा. सं. 195/13/2025-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव